673(E)
28/8/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 28/8/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the road Package No. 40A/OPRMC-II/Hilsa के निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद, जिस पर तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री भवानी नंदन, अभियता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the road Package No. 40A/OPRMC-II/ Hilsa
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, हिलसा।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹9157.98785 लाख। संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–8536(एस0) दिनांक–08.11.2018
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹10513.84500 लाख। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण सगठन, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक–779(अनु0) दिनांक 13.03.2019
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹9677.20 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	25.03.2019

28/8/19

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित तीन संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(i) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd.

(ii) Surendra Prasad and Lahri Construction Pvt. Ltd.

(iii) BBCPL & SKPL (Joint Venture)

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना पत्रांक–1706(अनु0) दिनांक–29.07.2019 द्वारा दिनांक–11.07.2019 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय ज्ञापांक–4364(ई0) दिनांक–07.06.2019 द्वारा संसूचित दिनांक–07.06.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णय के विरूद्ध असफल निविदाकार BBCPL-SKPL के पत्रांक–शून्य दिनांक–10.06.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के संबंध में परिवाद/आवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

"उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक संख्या–4364 दिनांक–07.06.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में MBD (Schedule-V) के तहत् मुझे असफल घोषित किया गया है :–

4.1 उक्त विषयक के संबंध में स्पष्ट करना है कि विभाग के द्वारा BID Documents के साथ Maintenance Plan अपलोड नहीं था जबकि Technical Bid Sheet क्रमांक–11 के तहत् मेरे द्वारा Accepted अंकित किया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा Bid Document के पेज नं०–734 एवं 735 में तत्संबंधी Undertaking दिया गया है कि कार्य आवंटन होने के बाद (Programme of Performance/Maintenance Plan) दिया जाएगा। इस संबंध में कहना है कि अगर Bid Documents के साथ Maintenance Plan नहीं दिया गया है तो नियमतः निविदा रद्द होना चाहिए था तथा undertaking को मानते हुए Clarification की माँग की जानी चाहिए।

4.2 उपुर्यक्त के संबंध में पथ निर्माण विभाग का पत्रांक–6158 दिनांक–09.07.2014 के कंडिका–5.2 के आलोक में कहना है कि (Programme of Performance/Maintenance Plan) द्वितीय प्रक्रम का विषय है जिसके अनुसार Technical Bid मूल्यांकन के समय निविदाकारों को Clarification Modification का अवसर दिया जाएगा। अतः इस Clarification को स्वीकृत किया जाय कि (Programme of Performance/

Maintenance Plan) निविदा स्वीकृति के बाद जब विभाग (Programme of Performance/ Maintenance Plan) देगी तो तब उसे मान्य करेंगे।

4.3 उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग के द्वारा दिनांक–24.05.2019 को विभागीय निविदा समिति बैठक में Technical Bid Sheet क्रमांक–11 Programme of Performance/Maintenance Plan में S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. के द्वारा Accepted लिखने पर निविदा तकनीकी मूल्यांकन में मान्य करते हुए सफल घोषित किया गया। (सुलभ प्रसंग हेतु 24.05.2019 की विभागीय निविदा समिति बैठक की कार्यवाही संलग्न)

अतः सादर अनुरोध है कि 24.05.2019 को विभागीय निविदा समिति में जिस आधार पर संवेदक S&P Infrastructure Developers को Technical Bid में सफल घोषित किया गया उसी तरह मेरे तकनीकी बीड पर पुनः विचार करते हुए मेरे द्वारा जमा तकनीकी बीड को सफल घोषित करने की कृपा की जाय।

पूर्व में भी मेरे द्वारा 09.05.2019 को मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में हुई तकनीकी बीड में मुझे Maintenance Plan नहीं हरने के कारण असफल करने की अनुशंसा किया गया था जिस संबंध में पुनः विचार हेतु श्रीमान् के संज्ञानार्थ आपके कार्यालय में मुख्य अभियंता को आवेदन दिया था सुलभ प्रसंग हेतु आवंटन की प्रति संलग्न।

5. समिति की अनुशंसा :–

संवेदक द्वारा दिये गये परिवाद की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति का मंतव्य निम्नवत् है :–

5.1 संवेदक द्वारा समर्पित परिवाद के क्रमांक–1 के आलोक में कहना है कि संवेदक द्वारा Technical Bid Sheet के क्रमांक–11 में Accepted अंकित किया गया है, जबकि विभाग द्वारा Appendix G में Maintenance plan upload ही नहीं किया गया है। अतः समिति संवेदक द्वारा Technical Bid Sheet के क्रमांक–11 में अंकित Accepted को अमान्य करती है। संवेदक द्वारा Maintenance plan कार्य आवंटन होने के बाद देने की बात कही गयी है, वह भी विचारनीय नहीं है।

5.2 संवेदक ने परिवाद के क्रमांक–2 में विभागीय पत्रांक–6158 दिनांक–09.07.2014 का जिक्र किया है, जिसके अनुसार Programme of performance/Maintenance Plan द्वितीय प्रक्रम का विषय है तथा संवेदक से इस संबंध में Clarification/Modification माँगे जाने का प्रावधान है। विभागीय पत्रांक–6158 दिनांक–09.07.2014 के कंडिका–2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि Technical bid में मूल्यांकन के समय Clarification/Modification का अवसर उसी Document के संबंध में दिया जा सकता है जो निविदा के साथ uploaded हो। संवेदक द्वारा maintenance plan upload ही नहीं किया गया है तो उसके संबंध में Clarification/Modification का प्रश्न ही नहीं उठता है। संवेदक द्वारा समर्पित परिवाद में क्रमांक–3 के संदर्भ में समिति का मंतव्य है कि S & P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद के अन्तर्गत Long Term output & performance based road assets maintenance work for the roads under package no.44B/OPRMC-II/Aurangabad की निविदा में Technical bid के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No.-2805/2019 में दिए गए न्यायादेशानुसार संवेदक द्वारा दिए गए fresh work programme को consider कर तथा Appendix G में uploaded maintenance plan के संदर्भ में Schedule-V के कंडिका–III में attached maintenance plan in appendix G के नीचे संवेदक द्वारा 'As per appendix G' अंकित रहने के कारण उन्हें Technical bid में सफल घोषित किया गया। इस प्रकार समिति संवेदक के परिवाद क्रमांक–3 को अमान्य करती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में BBCPL & SKPL (Joint venture) को Clause schedule-v के आलोक में पुनः तकनीकी बीड में असफल एवं (i) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Surendra Prasad and Lahri Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की पुनः अनुशंसा करती है।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1706(अनु0) दिनांक–29.07.2019 द्वारा तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद/अभ्यावेदन पर अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विषयांकित कार्य में निविदाकार **BBCPL-SKPL (Joint Venture)** के द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य करते हुए पुनः असफल करने का निर्णय लिया गया है। उक्त विषयांकित पैकेज से संबंधित कार्य के संदर्भ में **Advocate General, Bihar, Patna High Court** के कार्यालय के पत्रांक–19540 दिनांक–09.08.2019 के द्वारा दिए गऐ विधि परामर्श के आलोक में मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है :–

(i) **The Hon'ble Court had observed that "The Court has been informed that re-tendering has already been done and it is at the stage of technical bid evaluation. if it is so, any third party right created during pendency of the writ application shall be subject to the result of the case." In my view it is not as stay order and the impact would have been the same even without the said observation**

(ii) **It is thus advised that the tender may be finalized with disclosure (s) that allotment of tender will be subject to the outcome of the writ. People participating must be aware of this contingency. Also if the work is finally allotted to someone then he should be advised to join the writ proceedings if the writ proceeding is not disposed off by then** उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निविदा का वित्तीय बीड शीघ्र विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

28/8/19
(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

28.8.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव–सह–
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

28.8.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

28/8/19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–183/2019 6731(6) पटना, दिनांक 28/8/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.8.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Urgent Fax Transmittal

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, BIHAR , PATNA HIGH COURT

Memo No 19540 Dated 9/8/2019

Fm: Manoj Kumar Ambastha, SC-26
Room No 306, 2nd Floor, New Building, AG's Office, High Court, Patna

To: The Principal Secretary RCD Govt of Bihar, Patna

Cc: The EE RCD Hilsa, through DM, Nalanda.

Sub: Advice

Ref: CWJC 5093/2019- Bhardwaj Construction Vs State of Bihar

Dear Sir,

1. This has reference to our telecon regarding out of turn hearing of the above subjected case relating to maintenance/repair of roads in Rajgir/Hilsa in view of the ensuing Presidential visit on 25.10.2019.

2. Today upon mentioning the Court declined out of turn hearing even on being told about the ensuing Presidential visit.

3. The scheduled date fixed in the case is 27/8/2019. However even on that date the matter will be down below and may not be taken up.

4. Note may be taken that vide order dated 3-4-2019 the Hon'ble Court had observed that "The court has been informed that re-tendering has already been done and it is at the stage of technical bid evaluation. If it is so, any third party right created during pendency of the writ application shall be subject to the result of the case". In my view it is not a stay order and the impact would have been the same even without the said observation.

5. It is thus advised that the tender may be finalised with disclosure(s) that allotment of tender will be subject to the outcome of the writ. People participating must be aware of this contingency. Also if the work is finally allotted to someone then he should be advised to join the writ proceedings if the writ proceeding is not disposed off by then.

Regards
Manoj Ambastha
Standing Counsel 26

Mob: 9534730300